"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2017 — श्रावण 20, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–41/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगर पालिक निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप–विधियां, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त उप–विधियों में, –

अनुसूची–2 में, –

(क) सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"7. अस्पताल/नर्सिंग होम (जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट से भिन्न अपशिष्ट के लिये)			
(1)	चिकित्सालय (क्लीनिक)	रू. 1000.00 प्रतिमाह	शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों के लिये प्रत्येक वर्ग के लिये शुल्क 50% होगा।"
(2)	पैथालॉजी लैब	रू. 1000.00 प्रतिमाह	
(3)	अस्पताल/नर्सिंग होम		
	(1) 20 बिस्तर तक	रू. 1000.00 प्रतिमाह	
	(2) 21 से 50 बिस्तर तक	रू. 2000.00 प्रतिमाह	
	(3) 51 से 100 बिस्तर तक	रू. 3000.00 प्रतिमाह	
	(4) 100 बिस्तर से अधिक	रू. 5000.00 प्रतिमाह"	

(ख) सरल क्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 5–41/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–41/2016/18, दिनांक 11–8–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2017

NOTIFICATION

NO. F 5-41/2016/18. — In exercise of the powers conferred by Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Municipal Corporation Solid Waste (Management and Handling) Bye-Laws, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said bye-laws,-

In Schedule-II, -

(a) for serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"7. Hospital/Nursing Home (for waste other than bio-medical waste)			
(1)	Dispensary (Clinic)	Rs.1000.00 every month	For Government Health Centres and hospitals, the charges will be 50% for each category.
(2)	Pathology Lab	Rs.1000.00 every month	
(3)	Hospital / Nursing Home		
	(1) Upto 20 beds	Rs.1000.00 every month	
	(2) 21 to 50 beds	Rs.2000.00 every month	
	(3) 51 to 100 beds	Rs.3000.00 every month	
	(4) More than 100 beds	Rs.5000.00 every month	

(b) Serial number 8 and entries relating thereto, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017